कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

e-mail :- ecmpgwl@hotmail.com

स्थायी परिपत्र क्रमांक आसवनी/2009–10/15

दिनांक 15·1·10

मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 9 के उप नियम (1) के खण्ड (झ) में यह प्रावधानित है कि बीयर की बोतलों के लेबिल पर शब्द समूह "निर्माण के माह से 6 माह के भीतर सर्वोत्तम" अंकित किया जाए। इस संबंध में :–

1. बीयर विनिर्माताओं एवं बीयर विनिर्माणी इकाईयों के प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा ब्रूअरी से चार माह से अधिक पुरानी निर्मित बीयर का प्रदाय, विदेशी मदिरा मद्य भांडागारों को न किया जाये।

2. इसी प्रकार बाहरी निर्माता केन्द्रीय भाण्डागार (एफ.एल.–10–ए/एफ.एल.10–बी) (केवल बीयर) लायसेंसियों तथा एफ.एल.–10–ए/एफ.एल.–10–बी (केवल बीयर) लायसेंस के प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा बाहरी निर्माता केन्द्रीय भाण्डागार (एफ.एल.–10–ए/एफ.एल.–10–बी) (केवल बीयर) लायसेंस से चार माह से अधिक पुरानी निर्मित बीयर का प्रदाय, विदेशी मदिरा मद्य भाण्डागारों को न किया जाये।

3. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता के माध्यम से विदेशी मदिरा मद्य भाण्डागारों के प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के ठेकेदारों को 5 माह से अधिक पुरानी बीयर का प्रदाय न करें।

4. बीयर विनिर्माणी इकाईयों, बीयर के बाहरी निर्माता केन्द्रीय मद्य भाण्डागारों तथा विदेशी मदिरा भाण्डागारों में संग्रहित 6 माह से अधिक पुरानी बीयर के निराकरण के संबंध में इस कार्यालय से अनुमति प्राप्त की जाय।

(अरुण पाण्डेय)
आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

Kapoor/aaaa/

पृ.क्रमांक 5(3)/2009–10/122 ग्वालियर, दिनांक 15.1.10

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अपर आबकारी आयुक्त तकनीकी/प्रशासन मुख्यालय की ओर सूचनार्थ।
3. उपायुक्त आबकारी तकनीकी/प्रशासन, मुख्यालय की ओर सूचनार्थ।
4. उपायुक्त आबकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता भोपाल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता म.प्र. की ओर उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित कराये जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. समस्त प्रभारी अधिकारी, बीयर विनिर्माणी इकाई (बी–3 लायसेंस) मैसर्स........................ ....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. समस्त प्रभारी अधिकारी, बाहरी निर्माता केन्द्रीय भाण्डागार (एफ.एल.–10–ए/10–बी) लायसेंस (केवल बीयर) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. समस्त विनिर्माणी इकाई मेसर्स.. बी–3 लायसेंस की ओर पालनार्थ।
10. समस्त बाहरी निर्माता केन्द्रीय भाण्डागार (एफ.एल.–10–ए/10–बी) लायसेंस (केवल बीयर)..की ओर पालनार्थ।

आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

Kapoor/aaaa